मांग संख्या	शीर्षक	राशि
११६	संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	५५,८४,००० रुपये
११७	प्रतिरक्षा पर पूंजी व्यय	२,३३,३३,००० रुपये
११८	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय	३,२८,००० रुपये
११९	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२,३०,००० रुपये
१२०	भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	४०,००० रुपये
१२१	चल-मुद्रा और टंकन पर पूंजी व्यय	६,५५,००० रुपये
१२२	टकसालों पर पूंजी व्यय	३,१३,००० रुपये
१२३	निवृत्ति वेतनों का राशिकृत मूल्य	३,९०,००० रुपये
१२४	छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	३५,००० रुपये
१२५	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२,३५,५०,००० रुपये
१२६	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	२,७७,००० रुपये
१२७	वनों पर पूंजी व्यय	२,७७,००० रुपये
१२८	खाद्यान्नों का क्रय	५,००,७७,००० रुपये
१२९	खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३,१५,६७,००० रुपये
१३०	स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	७२,४४,००० रुपये
१३१	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२१,२४,००० रुपये
१३२	प्रसारण पर पूंजी व्यय	३२,९१,००० रुपये
१३३	लोहा और इस्पात मंत्रालय का पूंजी व्यय	४,६४,५०,००० रुपये
१३४	बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी व्यय	१९,९३,००० रुपये
१३५	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	८०,००० रुपये
१३६	श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय	४,५८,००० रुपये
१३७	प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३५,१५,००० रुपये
१३८	उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय	१,४८,१४,००० रुपये
१३९	पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय	२,६६,२५,००० रुपये
१४०	पत्तनों पर पूंजी व्यय	४०,००,००० रुपये
१४१	सड़कों पर पूंजी व्यय	१,१७,९२,००० रुपये
१४२	परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१७,७९,००० रुपये
१४३	नई दिल्ली पर पूंजी व्यय	८३,४४,००० रुपये
१४४	भवनों पर पूंजी व्यय	८४,४५,००० रुपये
१४५	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३३,७५,००० रुपये
१४६	अणु शक्ति विभाग का पूंजी व्यय	५६,५४,००० रुपये

आय-व्ययक प्रस्थापनाओं का भेद खुल जाना

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : दो या तीन दिन पहले मैं ने सभा को बताया था कि आय-व्ययक के भेद के खुल जाने सम्बन्धी जांच में कुछ प्रगति हुई है और मैंने वचन दिया था कि आज उस सम्बन्ध में और वक्तव्य दूंगा । केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]
और दिल्ली पुलीस ने जो जांच की है उससे यह ठीक-ठीक पता नहीं चला कि यह भेद कैसे खुला। बम्बई और अन्य स्थानों पर इस जानकारी के वितरण के सम्बन्ध में हमें बहुत कुछ पता है।

यह सिद्ध हो गया है कि यह भेद उस सरकारी प्रेस से जो राष्ट्रपति भवन में है, निकला है, जहां आय-व्ययक के पत्र मुद्रण के लिये दिये गये थे। प्रारूप की जो प्रतियां मुद्रण के लिये भेजी गई थीं वे बिना अनुज्ञा के कुछ व्यक्तियों को दे दी गई जिन में से दो को बन्दी कर लिया गया है। उस व्यक्ति को बन्दी किया गया है जिसने यह भेद दिया था। अभी यह जानने के लिये जांच की जा रही है कि क्या कुछ और व्यक्ति भी यह भेद देने और सरकारी गुप्त प्रलेखों का प्रयोग करने के अपराधी हैं और क्या उनके विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है। क्योंकि तीन बन्दी किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध मामला शीघ्र ही न्यायालय के समक्ष रखा जायेगा तथा और जांच की जा रही है, अतः सरकार के पास जो जानकारी है उसे ब्यौरे सहित बताना इस समय उचित नहीं है। तो भी मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि इस अपराध के अपराधी लोगों को दण्डित करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जायेगा। इस भेद के खुलने को दृष्टिगत रखते हुए सरकार इस सम्बन्ध में प्रक्रिया को इस प्रकार सुधारने का विचार कर रही है जिससे भविष्य में ऐसी बात न हो।

†**डा० लंकासुन्दरम्** (विशाखापटनम) : इस जांच को पूरा करने में सरकार को कितना समय लगेगा।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक न्यायालय में अभियोग क्या सम्बन्ध है वह शीघ्र किया जायेगा। उसके लिये जांच के पूरे होने की प्रतीक्षा नहीं की जायेगी। जांच तो चलती रहेगी। जो कोई अतिरिक्त जानकारी मिलेगी उसकी सहायता ली जायेगी। पता नहीं माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय: है क्योंकि स्वभावतः हमें न्यायालय में अभियोग चलाना है और हम अभियोग चलाने वाले हैं।

†**डा० लंकासुन्दरम्** : मैंने इस कारण यह प्रश्न पूछा था कि इससे सारी सभा के विशेष अधिकार का सम्बन्ध है। क्या सभा की समिति को इस जांच में लगाया जायगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझता कि पुलिस की जांच के साथ सभा की समिति का क्या सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। आय-व्ययक का भेद खुलने के सम्बन्ध में पुलिस और गुप्त वार्ता विभाग जांच कर रहे हैं। विशेषाधिकार का प्रश्न तनिक भिन्न प्रकार का है। दोनों का एक दूसरे से क्या सम्बन्ध हो सकता है।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : आपने इस विषय के सम्बन्ध में अपना निर्णय स्थगित कर दिया था। न्यायालय में मामला के जाने के पश्चात् सम्भवतः वह संसद् के क्षेत्राधिकार में न रहे। अतः इस समय विशेषाधिकार समिति इस पर विचार कर ले और आप आज या अधिक से अधिक कल तक अपना निर्णय दे दें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : लगभग २९ फरवरी को वित्त मंत्री को आय-व्ययक का भद खुलने के बारे में पता लग गया था परन्तु आय-व्ययक प्रस्तुत करने के पश्चात् भी इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री के वक्तव्य के अनुसार अब सभा के पास पर्याप्त सामग्री है। उसके आधार पर अभियोग चलाया जायेगा। जहां तक सभा के विशेषाधिकार का सम्बन्ध है मैं विचार करूँगा कि और क्या कार्यवाही की जा सकती है। इस सम्बन्ध में मैं अपना निर्णय बाद में दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : मैं इस वक्तव्य का खंडन करता हूँ कि मुझे २९ फरवरी को जानकारी मिली थी। यदि माननीय सदस्य का यही कथन है तो सही नहीं है। उस दिन मैंने कहा था कि जानकारी मुझे दूसरे दिन सवेरे ९ बजे मिली थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने उस दिन कहा था कि उन्हें जानकारी उसी दिन नहीं मिली थी। यह सब बातें सभा के समक्ष हैं। लोक-सभा द्वारा आगे क्या कार्यवाही की जानी चाहिये मैं इस पर विचार करूँगा।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहाँ तक इस मामले का सम्बन्ध है पुलिस की जांच जारी रहेगी। कदाचित् कुछ और व्यक्ति इसमें हो सकते हैं हमें उनके बारे में जानकारी मिल सकती है। इस दृष्टि से जाँच जारी रहेगी। अन्यथा जो लोग पकड़े गये हैं उनको देखते हुए मामले की स्थिति ठीक है।

मुझे एक जानकारी और देनी है। जिस दिन यह विवाद उठाया गया था मैं यहां नहीं था। सभा को स्मरण होगा कि मैंने ३ मार्च को बजट समय से पूर्व प्रकट होने का उल्लेख किया था। मैंने ३ मार्च को प्रथम बार बजट समय से पूर्व प्रकट होने के सम्बन्ध में अखबारों में देखा था। उस दिन आधा घंटा बीता होगा कि वित्त मंत्री ने टेलीफोन किया और यह जानकारी दी कि उन्हें (वित्त मंत्री को) समय से पहले बजट प्रकट होने का समाचार प्राप्त हुआ है तथा वह पिछले दिन या इससे भी पूर्व अपने मंत्रालय में सम्बन्धित प्रक्रिया की जांच कर रहे थे। एक दिन पहले वह गृह-कार्य मंत्रालय को प्रतिवेदन भेज चुके थे। कदाचित् यह २ मार्च की बात है——मेरी बात में संशोधन हो सकता है मैं केवल स्मृति के आधार पर बोल रहा हूं——वित्त मंत्री ने गृह-कार्य मंत्रालय को शीघ्र कार्यवाही करने के लिये प्रतिवेदन भेज दिया था। उन्होंने ३ मार्च को मुझे जानकारी दी। उस समय मैं राज्यपाल सम्मेलन के लिये राष्ट्रपति भवन जा रहा था। मैंने वित्त मंत्री से कहा कि मैं लोक-सभा की बैठक के कुछ समय पूर्व ही वहां आऊंगा और निस्संदेह ही सभा को इसकी जानकारी दे दी जायेगी। वित्त मंत्री की भी यही सम्मति थी। अतः मैं सभा की बैठक के पहले ही——संभवतः पांच मिनट पहले वहां पहुँच गया और उनसे इस विषय में पूछा। उन्होंने मुझे संक्षेप में बताया, कुछ तथ्य प्रकट किये और मैंने वक्तव्य दिया कि हम शीघ्र ही इसकी जाँच करेंगे। जहाँ तक मेरा ज्ञान है वित्त मंत्री को यह जानकारी पहली मार्च को प्रातःकाल मिल गई थी।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम्) : ३० तारीख को।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : फरवरी में ३० तारीख नहीं होती।

†**श्री एम० सी० शाह** : संयोगवश बम्बई में थे उन्हें बम्बई के मुख्य मंत्री द्वारा २९ फरवरी को संध्या के ४ बजे यह जानकारी मिली।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : ४ बज कर ३० मिनट पर।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हाँ, लगभग ४ बजकर ३० मिनट पर। उसी दिन ५ बजे बजट लोक-सभा में उपस्थित किया गया था। बजट उपस्थापित होने के पूर्व वित्त मंत्री से सम्पर्क स्थापित करना उनके लिये असम्भव था। श्री शाह उसी रात को यहां आने वाले थे। रात को यहां पहुँच कर सवेरे उन्होंने वित्त मंत्री को जानकारी दी। तत्पश्चात् वित्त मंत्री ने अपने मंत्रालय में प्रारम्भिक जाँच कराई कि इन मामलों का उत्तरदायित्व किन पर था—कौन-कौन व्यक्ति इनसे सम्बन्धित थे।

†**श्री कामत** : उन्होंने आपको उसी दिन नहीं बताया।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : दूसरे दिन बताया था। उन्हें अपने मंत्रालय में यह मालूम करना था कि स्थिति क्या है। अपने मंत्रालय से मालूम करने के बाद २ मार्च को गृह-कार्य मंत्रालय को प्रतिवेदन

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

भेजते हुए कह दिया था कि इस मामले की शीघ्र जांच कराई जाये। यह सब बातें उन्होंने मुझे ३ तारीख को सवेरे बताईं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उस दिन स्थगन-प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : स्थगन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे कुछ मालूम नहीं था। लोक-सभा में आने के बाद ही मुझे स्थगन प्रस्ताव की जानकारी हुई। मैं उस दिन सवेरे की चर्चा कर रहा हूँ। ९ बजे का समय था। उन्होंने टेलीफोन पर मुझे बताया कि ऐसी घटना हो गई है। यह एक गम्भीर बात थी और स्वभावतः वित्त मंत्री ही इससे सर्वाधिक चिन्तित थे। मैंने कहा कि मैं लोक-सभा की बैठक आरम्भ होने के कुछ समय पहले ही राज्यपाल सम्मेलन से लौट आऊँगा और तभी हम इस पर बात-चीत करेंगे। मैंने लोक-सभा एवं अध्यक्ष महोदय को भी जानकारी दे दी कि हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव के विषय में मुझे कुछ मालूम नहीं था। ११ बजे यहां आने पर मुझे स्थगन प्रस्ताव मिला तथा मैंने इस सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

†**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : खड़े हुए

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें कोई सन्देह नहीं कि समय से पूर्व बजट के प्रस्तावों का प्रकट होना एक ऐसी घटना है जिस पर सभा विचार करेगी। पूर्व पद्धति तथा उदाहरणों के अनुसार मैं देखूंगा कि क्या कार्यवाही आवश्यक है।

†**श्री कामत** : जब इस तरह की गम्भीर बात होती है तो क्या वित्त मंत्री अथवा अन्य मंत्री का यह कार्य नहीं है कि वह प्रधान मंत्री अथवा मंत्रिमण्डल को इसकी सूचना दें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं जानकारी पूरी दे दूं। बम्बई के मुख्य मंत्री श्री मुरारजी देसाई ने वह पत्र, जो बम्बई में बेचा जा रहा था, साढ़े चार बजे मंत्री श्री एम० सी० शाह को दे दिया। श्री शाह को बजट के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। उन्होंने बजट के पर्चे नहीं देखे थे।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : बजट सम्बन्धी भाषण नहीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्री शाह ने उसे नहीं देखा था। उन्होंने कहा, "मैं नहीं जानता कि यह सही है अथवा नहीं"। फिर उन्होंने, "मैं शीघ्र ही यह मालूम करने की कोशिश करूँगा"। बात-चीत के बीच में ही ५ बजने में ५ मिनट पर वह श्री देसाई के पास से चले आये।

†**श्री कामत** : उन्होंने फोन पर कुछ नहीं कहा।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह सीधे हवाई स्टेशन के लिये रवाना हो गये। संध्या को हवाई जहाज से आकर दूसरे दिन सवेरे उन्होंने यह बात बताई। जैसा मैंने कहा था, वित्त मंत्री ने शीघ्र ही जांच आरम्भ कर दी। वह नहीं जान पाये कि जो घटना घट चुकी है उसके बारे में गृह-कार्य मंत्री से क्या कहा जाये। कुछ कहना चाहिये किन्तु पूरी बात बताये बिना— आवश्यक कार्यवाही किये बिना कोई लाभ नहीं हो सकता था। उन्होंने शीघ्र ही वित्त मंत्रालय में जांच करवाई कि इन मामलों का किन से सम्बन्ध था और इसके बाद गृह-कार्य मंत्रालय को इसकी सूचना दे दी।

†**श्री एस० एस० मोरे** : श्री मुरारजी देसाई को वह पर्चे कब मिले थे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कुछ समय पहले ही उन्हें मिले थे—मुझे ठीक ज्ञात नहीं है।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : उन्हें दो या तीन घंटे पहले मिले थे।

†**डा० लंकासुन्दरम्** : प्रधान मंत्री ने जो कुछ जानकारी दी है वह प्रायः वैसी है जैसी पहले वित्त मंत्री ने बताई थी। किसी भी सदस्य की यह मंशा नहीं है कि वह सरकारी जांच अथवा विधि

---

†मूल अंग्रेजी में

के मार्ग में रोड़ा अटकाये। लेकिन सभापति को इस बात पर विचार करना है कि यह सम्पूर्ण सभा के विशेषाधिकार का प्रश्न है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सरकार को आपका एवं सभा का नियम पूर्ण रूप से मान्य होगा। मैं डा० लंकासुन्दरम् द्वारा उठाया गया प्रश्न नहीं समझ सका हूँ। माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया, विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्न मुझे स्पष्ट नहीं हुआ है। आपके समक्ष निर्णय के लिये जो बात रखी गई, मैं उसकी स्पष्ट जानकारी चाहता हूँ। मुझे खेद है कि मैं विगत अवसर पर यहां उपस्थित नहीं था।

†**डा० लंकासुन्दरम्** : मैं अभी व्याख्या कर देता हूँ। बजट के प्रस्तावों के सम्बन्ध में भेद खुल जाना एवं करापहार—यह दोनों लोक-सभा के विशेषाधिकार से सम्बन्धित हैं और लोक-सभा इन पर विचार करेगी। प्रारम्भिक जाँच तथा कानूनी कार्यवाही इस प्रश्न से सर्वथा पृथक है। केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग और कानूनी कार्यवाही से अतिरिक्त प्रस्तावों के प्रकट होने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण लोक-सभा के विशेषाधिकार भंग के प्रश्न पर मुझे अध्यक्ष महोदय का निर्णय चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : सर्वप्रथम लोक-सभा को बजट का प्रस्ताव मालूम होना चाहिये। यदि अन्य व्यक्ति हमें जानता है तो लोक-सभा को वर्तमान तथा भविष्य के लिये कार्यवाही करने का अधिकार है। सभा को यह मालूम होना चाहिये कि न्यायालय में कोई कार्यवाही की जाये अथवा नहीं यदि इस प्रकार की अनियमितता बरती गई है और कोई मंत्री इसमें अन्तर्ग्रस्त है तो क्या कार्यवाही की जानी चाहिये। ये सब बातें सभा के विशेषाधिकार के अन्तर्गत हैं। किसी उचित कार्यवाही के लिये मैं इस पर विचार करूँगा। यदि आवश्यकता हुई तो मैं सभा के नेता का परामर्श लूंगा तथा सम्बन्धित पत्रों का अध्ययन करूँगा।

†**श्री कामत** : दूसरे सदस्यों से भी।

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरे सदस्यों से भी और इन सब बातों पर विचार करने के बाद अपना निर्णय दूंगा।

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक*

†**वित्त उपमंत्री (श्री बी० आर० भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधियों से कुछ राशियों को निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री बी० आर० भगत** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

अनुदानों की मांगें---रेलवे

†**अध्यक्ष महोदय** : अब लोक-सभा रेलवे के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर पुनः चर्चा आरम्भ करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण राजपत्र भाग २, अनुभाग २ दिनांक १३-३-५६ में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।